न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/362/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री विकास कुमार बैरवा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कोषाधिकारी, जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक एफ.1/(01)स्था./वि.जॉच/16सीसीए/2022/966 दिनांक 11.04.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री विकास कुमार बैरवा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कोषाधिकारी, जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः— 30.01.2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक एफ. 1/(06)()/वि.जॉच/स्थापना/2017/7184 दिनांक 23.10.2017 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः—

1. सहायता शाखा में मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये जन सामान्य द्वारा दुर्घटना में मृतक घायल के प्रार्थना पेश किये जाते है। आप द्वारा अपनी पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2014 से दिनांक 03.07.2017 तक के शाखा में प्राप्त आवेदन पत्रों को दर्ज रजिस्टर नहीं किया तथा कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात हो कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं कितने प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की गई तथा कितने प्रकरण निस्तारण से शेष है। आप द्वारा सहायता के लिये प्राप्त प्रकरणों का विवरण नहीं रखने से विधानसभा प्रश्न संख्या 6219 का जवाब समय पर नहीं

भिजवाया जा सका। सम्बन्धित रिकार्ड श्री मेहमुद सईद, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी, श्री सत्यनारायण गुप्ता कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट, टोंक द्वारा सहायता शाखा के रिकार्ड का तहसीलदारों के रिकॉर्ड से मिलान करवाने पर कुल 120 प्रकरण पेण्डिग पाये गये। जिनका बाद में निस्तारण करवाया गया। जिससे मृतक, घायलों के परिवारों को समय पर सहायता नहीं दी जा सकी , जिससे तत्काल सहायता का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। आपका उक्त कृत्य राजकार्य में घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है, जिसके लिये आप दोषारोपित थे।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर टोंक के पत्रांक 6231 दिनांक 10.11.2021 के क्रम मे उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार कार्मिक पर लगाया गया अरोप मात्र लापरवाही से किया गया कार्य प्रतीत होता है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर टोंक के उक्त दण्डादेश दिनांक 11.04.2022 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर टोंक से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के कथन किया कि कार्मिक द्वारा सहायता के समस्त प्रकरणों का कम्प्यूटर में इन्द्राज किया जाता था एवं तहसीलदार से पूर्ण जांच प्राप्त होते ही प्रकरण निस्तारण हेतु पत्रावली पेश कर दी जाती थी। उक्त स्पष्टीकरण को जांच अधिकारी ने संतोषजनक मानकर आरोपो को प्रमाणित नही माना। अपीलान्ट के स्तर पर एक भी आवेदन पत्र स्वीकृति से शेष नही पाये गये। आरोप पत्र मे जिन 120 प्रकरण

लम्बित होना बताये गये वे सभी तहसील स्तर से ही लम्बित थे। तहसीलदारो द्वारा निर्धारित अवधि मे मूल आवेदन पत्र व उस पर रिपोर्ट समय पर नही करने के कारण आवेदन पत्र के निस्तारण मे विलम्ब हुआ है। सहायता शाखा में कार्य की अधिकता होते हुए भी समस्त कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया गया। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर टोंक के दण्डादेश दिनांक 11.04.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्र, एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ उपखण्ड अधिकारी टोंक का जॉच प्रतिवेदन तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को जिला कलक्टर टोंक द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोप के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 11.04.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री विकास कुमार बैरवा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कोषाधिकारी, जिला टोंक के विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक एफ.1/(01)स्था./वि.जॉच/16सीसीए/2022/966 दिनांक 11.04.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर